

**अंतिम डिक्री व मुकदमे इब्दादाई
(आर्डर 21 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)**

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल जिला-नागौर,
व इजलास अभिलाषा, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 115/2024

वादीगण-

1. ओमाराम पुत्र मंगलाराम
2. हरजीराम पुत्र खुमाराम
जातियान-मेघवाल, निवासीगण-गेलोली, तहसील- जायल, नागौर।

बनाम

प्रतिवादीगण -

1. प्रेमराम पुत्र बीरमाराम
2. नेमाराम पुत्र बीरमाराम
3. जसू पुत्री बीरमाराम
4. सायरी पत्नी बीरमाराम
5. राकेश पुत्र रामप्रसाद
6. रविन्द्र पुत्र रामप्रसाद
7. उर्मिला पुत्री रामप्रसाद
8. गुडी पुत्री रामप्रसाद उर्फ सरला पुत्री रामप्रसाद
9. गटूडी पत्नी रामप्रसाद
10. तारूराम पुत्र खुमाराम
11. सुवटी पत्नी खुमाराम
12. विमला पुत्री खुमाराम
13. रामी पुत्री खुमाराम
14. मोहनी पुत्री खुमाराम
15. निम्बाराम पुत्र मंगलाराम
16. कैलाश पुत्र मंगलाराम
17. नैनी पुत्री मंगलाराम
18. झणकारी पत्नी मंगलाराम
जातियान-मेघवाल, निवासीगण-गेलोली, तहसील-जायल, नागौर।
19. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार जायल।




उपस्थिति :-

1. श्री गोविन्दराम ढाका अधिवक्ता वादीगण की ओर से।
2. प्रतिवादी संख्या 1 से 18 की ओर से अधिवक्ता श्री रामप्रकाश बेंदा
3. प्रतिवादी संख्या 19 राजपैरोकार उपस्थित

**दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
- :: डिक्री आदेश :: -**

यह मुकदमा आज वारते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व गोविन्द राम ढाका
अधिवक्ता वादीगण गिनजानिव मुददई प्रतिवादी संख्या 1 से 18 की ओर से अधिवक्ता श्री


सहायक कलेक्टर
(राज.डी.ओ.) जायल

रामप्रकाश बेंदा प्रतिवादी संख्या 19 राजपैरोकार उपस्थित भिनजानिव मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि यत् वादीगण का वाद घोषणा हक खातेदारी एवं बंटवारा अन्तर्गत धारा 88,53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया मौजा गेलोली सम्बत् 2073-2078 के खाता संख्या 568 की भूमि के मुतदाविया खेतायों (डोली भूमि खसरा नंबर 259, 260 को छोड़कर) का वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 18 के मध्य बंटवाड़ा माफिक वाद पत्र किया जाकर निम्न प्रकार से अंतिम डिकी किया जाता है।

1. वादी ओमाराम के हक बंट कब्जा काश्त एवं खातेदारी में मौजा गेलोली का खेत खसरा नंबर 332 रकबा 7.7700 हैक्टेयर में से 1.7807 हैक्टेयर माफिक नजरीनकशानुसार एवं खसरा नंबर 552 रकबा 3.2941 हैक्टेयर में से 1.0970 हैक्टेयर माफिक नजरीनकशानुसार रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
2. वादी संख्या 2 हरजीराम, प्रतिवादी संख्या 10 तारूराम, प्रतिवादी संख्या 11 सुवटी के हक बंट कब्जा काश्त एवं सहखातेदारी में मौजा गेलोली का खेत खसरा नंबर 176 रकबा 5.4632 हैक्टेयर में से 2.3876 हैक्टेयर माफिक नजरीनकशानुसार, खसरा नंबर 203 रकबा 0.3723 हैक्टेयर हैक्टेयर पूरा, खेत खसरा नंबर 332 रकबा 7.7700 हैक्टेयर में से 0.6472 हैक्टेयर माफिक नजरीनकशानुसार रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
3. प्रतिवादी संख्या 1 से 9 कमश प्रेमराम, नेमाराम, जसू, सायरी, राकेश, रविन्द्र, उर्मिला, गुडी, गटूडी के संयुक्त हक बंट कब्जा काश्त एवं सहखातेदारी में मौजा गेलोली का खेत खसरा नंबर 176 रकबा 5.4632 हैक्टेयर में से 3.0756 हैक्टेयर माफिक नजरीनकशानुसार, खसरा नंबर 332 रकबा 7.7700 हैक्टेयर में से 1.7807 हैक्टेयर माफिक नजरीनकशानुसार रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
4. प्रतिवादी संख्या 15 निम्वाराम के हक बंट कब्जा काश्त एवं खातेदारी में मौजा गेलोली का खेत खसरा नंबर 332 रकबा 7.7700 हैक्टेयर में से 1.7807 हैक्टेयर माफिक नजरीनकशानुसार, खसरा नंबर 552 रकबा 3.2941 हैक्टेयर में से 1.0970 हैक्टेयर माफिक नजरीनकशानुसार रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
5. प्रतिवादी संख्या 16 कैलाशराम के हक बंट कब्जाकाश्त एवं सहखातेदारी में मौजा गेलोली का खेत खसरा नंबर 332 रकबा 7.7700 हैक्टेयर में से 1.7807 हैक्टेयर माफिक नजरीनकशानुसार, खसरा नंबर 552 रकबा 3.2941 हैक्टेयर में से 1.1001 हैक्टेयर माफिक नजरीनकशानुसार रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
6. प्रतिवादी संख्या 12,13,14 कमश विमला, रामी, मोहनी एवं प्रतिवादी संख्या 17 व 18 नैनी, झणकारी के हक में कोई भूमि नहीं रखी गई अतः इन प्रतिवादीगण का राजहक में स्टाम्प शुल्क अदा किये जाने पर ही राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद हो।
7. बैंक के रहन खसरान् के संबंध में संबंधित बैंक को सूचित हो। (रहन होने की स्थिति में)
8. नजरीनकशा निर्णय का अभिन्न भाग माना जावेगा।
9. डोली भूमि से प्रभावित खसरान् के यथावत डोली भूमि नोट खाते में रहेगा।

सहायक कलेक्टर
(रा.डी.ओ.) जायब

